रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

RailTel Corporation of India Ltd.

महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निर्धारण के लिए नीति

{सेबी (दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ का सूचीकरण) के विनियम, 2015 के नियम 16 (1) (ग) और नियम 24 के अनुसार}

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निर्धारण के लिए नीति

1 परिचय

यह नीति सेबी (दायित्वों और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ का सूचीकरण) के विनियम, 2015 के नियम 16 (1) (ग) और नियम 24 में समय-समय पर यथा संशोधन के अनुसार तैयार की गई है (बाद में इसे "सेबी एलओडीआर (**LODR**) विनियम" कहा गया है)।

2. उद्देश्य

रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की नीति (इसके बाद "कंपनी" या "रेलटेल" के रूप में संदर्भित) सेबी एलओडीआर विनियमों के अनुपालन के लिए रेलटेल की महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों के निर्धारण से संबंधित है।

3. परिभाषाएँ

i. "**अधिनियम**" का अर्थ है कंपनी अधिनियम, 2013 जिसमें कोई भी वैधानिक संशोधन या उसका संशोधन शामिल है।

ii. "**ऑडिट कमेटी**" का अर्थ है कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा गठित समिति, जो अधिनियम की धारा 177 और सेबी एलओडीआर (LODR) विनियमों के विनियमन 18 के अनुसार है।

iii. "**बोर्ड**" का अर्थ है समय-समय पर गठित रेलटेल के निदेशक मंडल।

iv. "**स्वतंत्र निदेशक**" का अर्थ है कंपनी का एक निदेशक, जैसा कि अधिनियम धारा 2 (47) और सेबी एलओडीआर (LODR) विनियमों के नियम 16 (ख) की में परिभाषित किया गया है।

v. "**सेबी एलओडीआर (LODR) विनियम**" का अर्थ है भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग के दायित्वओं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ का सूचीकरण) विनियम, 2015 समय-समय पर संशोधित किए जाते हैं।

vi. "**महत्वपूर्ण सहायक कंपनी**" का तात्पर्य एक सहायक कंपनी है, जिसकी आय या कुल संपत्ति, तत्काल पूर्व लेखा वर्ष में कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों की क्रमशः समेकित आय या कुल संपत्ति दस प्रतिशत से अधिक है।

vii. "**महत्वपूर्ण असूचीबद्ध सहायक कंपनी**" का अर्थ होगा एक असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी।

viii. "**सहायक कंपनी**" का तात्पर्य एक सहायक कंपनी से होगा जैसा कि अधिनियम की धारा 2 (87) के तहत परिभाषित है।

ix. " **असूचीबद्ध सब्सिडियरी कंपनी**" का अर्थ है सब्सिडियरी कंपनी, जिसकी सिक्योरिटीज किसी भी मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।

इस नीति में प्रयुक्त कोई अन्य शब्द (शब्दों), लेकिन यहाँ परिभाषित नहीं किया गया है, जिसका अर्थ अधिनियम में परिभाषित किया गया है, जिसमें किसी भी वैधानिक संशोधन या पुन: लागू करने या उसके तहत बनाए गए नियमों, सेबी एलओडीआर (LODR) विनियमों और नियमों एवं विनियमों के तहत - कंपनी के लिए लागू या किसी अन्य संबद्ध विधान / कानून को शामिल किया गया है।

4. नीति-महत्वहपूर्ण सहायक कंपनी के लिए मानदंड

एक सहायक कंपनी को तभी एक महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के रूप में समझा जाएगा, जिसकी आय या कुल संपत्ति, तत्काल पूर्व लेखा वर्ष में रेलटेल और उसकी सहायक कंपनियों की क्रमशः समेकित आय या कुल संपत्ति के दस प्रतिशत से अधिक हो।

5. कंपनी की सहायक कंपनियों से कॉर्पोरेट गवर्नेंस की अपेक्षाएं

1. असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी चाहे वह भारत में हो या नहीं, उसके निदेशक मंडल में रेलटेल के बोर्ड का कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक, अवश्य होंगे।

   स्पष्टीकरण: उपर्युक्त खंड (1) के प्रयोजन के लिए, "**महत्वपूर्ण सहायक कंपनी**" का अर्थ है एक सहायक कंपनी, जिसकी आय या नेट वर्थ निवल तत्काल पूर्व लेखा वर्ष में रेलटेल और इसकी सहायक कंपनियों की क्रमशः समेकित आय या नेट वर्थ के बीस प्रतिशत से अधिक हो।

2. कंपनी की ऑडिट कमेटी असूचीबद्ध सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों और उसके द्वारा किए गए निवेश की भी समीक्षा करेगी।

3. असूचीबद्ध सहायक कंपनी की बोर्ड मीटिंगों के कार्यवृत्तों को कंपनी के बोर्ड मीटिंग में नियमित अंतराल पर रखा जाएगा।

4. असूचीबद्ध सहायक कंपनी का प्रबंधन असूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा किए गए सभी महत्वपूर्ण लेनदेन और व्यवस्थाओं का विवरण समय-समय पर रेलटेल के निदेशक मंडल के संज्ञान में लाएगा।

   स्पष्टीकरण- "महत्वपूर्ण लेन-देन या व्यवस्था" का अर्थ, तत्काल पूर्व लेखा वर्ष में किसी भी ऐसे व्यक्तिगत लेनदेन या व्यवस्था से होगा जो कुल राजस्व या कुल व्यय या कुल संपत्ति या कुल देनदारियों, जैसा कि मामला हो, के 10% से अधिक हो या होने की संभावना हो, से होगा।

5. रेलटेल अपनी महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों में शेयरों का निपटान नहीं करेगी, जिससे इसकी शेयरहोल्डिंग में कमी (या तो स्वयं या अन्य सहायक कंपनियों के साथ) 50% से कम हो जाने के परिणामस्वरुप या इसकी सामान्य बैठक में विशेष प्रस्ताव पारित किए बिना सहायक कंपनियों पर नियंत्रण के इस्तेमाल समाप्त कर देगा ऐसे मामलों को छोड़कर, जहां इस तरह के विभाजन को कोर्ट / ट्रिब्यूनल द्वारा विधिवत मंजूर की गई योजना के तहत या इनसॉल्वेंसी कोड की धारा 31 के तहत विधिवत अनुमोदित योजना के तहत किया जाता है और इस तरह की घटना का पता संकल्प योजना को मंजूरी के एक दिन के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को दिया जाता है।

6. किसी वित्तीय वर्ष के दौरान एक समग्र आधार पर रेलटेल की महत्वपूर्ण सहायक कंपनियों की बीस प्रतिशत से अधिक की संपत्ति की बिक्री, निपटान और पट्टे पर देने के लिए, विशेष संकल्प के माध्यम से शेयरधारकों की पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता होगी जब तक कि बिक्री / निपटान / पट्टा विधिवत रूप से कोर्ट / ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमोदित या इन्सॉल्वेंसी कोड की धारा 31 के तहत रिज़ॉल्यूशन प्लान के तहत बनाई गई न हो और इस तरह की घटना को रिज़ॉल्यूशन प्लान मंजूरी के एक दिन के भीतर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाता है।

7. भारत में निगमित असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनिया सेक्रेटेरियल ऑडिट करेगी और, कंपनी सेक्रेटरी द्वारा दी गई एक सेक्रेटरी ऑडिट रिपोर्ट को यथा निर्दिष्ट रूप में अपनी वार्षिक रिपोर्ट के साथ जोड़ेंगी ।

6. प्रकटीकरण

इस नीति की प्रति कंपनी की वेबसाइट अर्थात् www.railtelindia.com पर रखी जाएगी।

7. संशोधन

बोर्ड किसी भी समय, बिना किसी कारण के, किसी भी समय इस नीति में संशोधन या परिवर्तन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। हालाँकि, ऐसा कोई संशोधन या परिवर्तन अधिनियम या लागू कानून के लागू प्रावधानों के साथ असंगत नहीं होगा।

हालाँकि, सूचीबद्ध विनियमों या किसी वैधानिक अधिनियमन के अनुपालन में आवश्यक नीति में किसी भी संशोधन, कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को इस तरह के संशोधन को मंजूरी देने का अधिकार है और उसे उनके सूचनार्थ बोर्ड के समक्ष रखा जाना चाहिए।

8. सामान्य

इस नीति में निहित कुछ भी होने के बावजूद, कंपनी किसी भी अतिरिक्त आवश्यकताओं के अनुपालन को सुनिश्चित करेगी जैसा कि किसी भी कानून /विनियमों के तहत निर्धारित किया जा सकता है चाहे मौजूदा या ऐसे कानूनों / विनियमों के लिए किसी संशोधन से उत्पन्न या अन्यथा और समय-समय पर कंपनी के लिए लागू हो सकता है।

इस नीति के प्रावधानों और अधिनियम या सेबी एलओडीआर विनियमों या किसी अन्य वैधानिक अधिनियमों, नियमों, ऐसे अधिनियम या सेबी एलओडीआर समझौते या वैधानिक अधिनियमों के प्रावधानों के बीच किसी भी संघर्ष की स्थिति में, नियम इस नीति पर प्रबल होंगे। सेबी एलओडीआर विनियम, अधिनियम और / या इस संबंध में लागू कानूनों में बाद में कोई संशोधन / परिवर्तन स्वतः ही इस नीति पर लागू होंगे।

***